रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939
No. 2239] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2555(अ).— पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम,5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अनुसार जब केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी उद्योग की अवस्थिति पर अथवा किसी क्षेत्र में प्रक्रियाओं और प्रचालनों को जारी रखने पर प्रतिषेध या प्रतिबंध लगाया जाना समीचीन है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा और ऐसी अन्य रीति के द्वारा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे, ऐसा करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है;

और जबकि उक्त उप-नियम के खंड (क) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना में क्षेत्र और उस क्षेत्र में स्थित उद्योगों प्रचालनों, प्रक्रियाओं का वर्णन दिया जाएगा जिनसे ऐसी अधिसूचना संबंधित है तथा किसी उद्योग की अवस्थिति पर तथा उस क्षेत्र में प्रचालनों और प्रचालनों के जारी रखने का प्रतिषेध करने या उन पर प्रतिबंध लगाने के कारणों को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

और जबकि खंड (क) के अधीन अधिसूचित प्रक्रियाओं या प्रचालनों के जारी रखने पर लगाए गए प्रतिषेध या प्रतिबंध के विरूद्ध आक्षेप फाइल करने का हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास लिखित में अपना आक्षेप फाइल करवा सकता है;

और जबकि उक्त उपनियम के खंड (घ) में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी अधिसूचना के विरूद्ध प्राप्त सभी आक्षेपों पर विचार करेगी तथा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच सौ पैंतालीस दिन के भीतर ऐसे उद्योगों की अवस्थिति या किसी क्षेत्र में किसी प्रक्रिया के प्रचालन के जारी रखने को प्रतिषेधित या प्रतिबंधित कर सकेगी;

और जबकि उक्त नियम-5 में उपनियम (4) में यह उपबंध है कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार को जब भी ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह नियम-5 के उपनियम (3) के खंड (क) के तहत नोटिस जारी करने की अपेक्षा का त्याग कर सकती है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2017 कहलाएंगें।
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा गया है) में, नियम-3 में, उपनियम (5) में,-

(क) "घोषित किया जाए" शब्दों के पश्चात "राज्य सरकार द्वारा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि कोई क्षेत्र शांत क्षेत्र या जोन प्रवर्ग के अधीन तब तक नहीं लाया लाएगा जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा उप-नियम (2) के अनुसार अधिसूचित न कर दिया जाए।"

3. मूल नियम में नियम 5 के, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसी निबंधन और शर्तों के अध्यधीन, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक हों, कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल 15 दिन से अनधिक की सीमित अवधि के किसी सांस्कृतिक, धार्मिक या उत्सव के अवसर पर या इसके दौरान रात्रि समय में (10.00 बजे अपराह्न से 12.00 बजे मध्यरात्रि) के दौरान लाउडस्पीकर, जन-संबोधन प्रणाली और इस तरह की अन्य व्यवस्थाओं के उपयोग की अनुमति दे सकती है तथा संबंधित राज्य सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जिला प्राधिकारी अपने अधिकारिता में सामान्यत: ऐसी छूट के लागू होने के दिन की संख्या और विवरण को अग्रिम रूप से विनिर्दिष्ट करेंगे।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए,

(i) 'त्यौहार के अवसर" में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय समारोह या राज्य समारोह सम्मिलित है; और

(ii) "राष्ट्रीय समारोह या राज्य समारोह" में,

(क) गणतंत्र दिवस;

(ख) स्वतंत्रता दिवस;

(ग) राज्य दिवस; और

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दिवस सम्मिलित है।

4. मूल नियम में, अनुसूची में, टिप्पणी 3 के पैरा 3 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. क्यू-15022/01/2017-सीपीए]

अरूण कुमार मेहता, अपर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 123 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 2000 को प्रकाशित किए गए थे, और इन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या का.आ. 50(अ), तारीख 11 जनवरी, 2011 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2555(E).—Whereas, according to clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Projection Rules, 1986, whenever it appears to the Central Government that it is expedient to impose prohibition or restrictions on the location of an industry or the carrying on the processes and operations in an area, it may, by notification in the Official Gazette and in such other manner as the Central Government may deem necessary from time to time, give notice of its intention to do so;

And whereas, every notification under clause (a) of said sub-rule shall give a brief description of the area, the industries, operations, processes in that area about which such notification pertains and also specify the reasons for the imposition of prohibition or restrictions on the locations of the industries and carrying on of process or operations in that area;

And whereas, any person interested in filing an objection against the imposition of prohibition or restrictions on carrying on of processes or operations as notified under clause (a) may do so in writing to the Central Government within sixty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette;

And whereas, clause (d) of the said sub-rule provides that the Central Government shall, within a period of one hundred and twenty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, consider all the objections received against such notification and may within five hundred and forty five days from such date of publication impose prohibition or restrictions on location of such industries and the carrying on of any process or operation in an area;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said rules provide that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules 1986, the Central Government hereby make the following rules further to amend the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, namely: -

1. (1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, in sub-rule (5), -

   (a) after the word "maybe declared", the words "by the State Government" shall be inserted;

   (b) the following proviso shall be inserted, namely: -

   "Provided that, an area shall not fall under silence area or zone category, unless notified by the State Government in accordance with sub-rule (2).".

3. In the principal rules, in rule 5, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely: -

   '(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the State Government may subject to such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution, permit use of loud speakers or public address systems and the like during night hours (between 10.00 p.m. to 12.00 midnight) on or during any cultural, religious or festive occasion of a limited duration not exceeding fifteen days in all during a calendar year and the concerned State Government or District Authority in respect of its jurisdiction as authorised by the concerned State Government shall generally specify in advance, the number and particulars of the days on which such exemption should be operative.

Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expressions-

(i) "festive occasion'' shall include any National function or State function as notified by the Central Government or State Government; and

(ii) "National function or State function "shall include"-

(A) Republic Day;

(B) Independence Day;

(C) State Day; or

(D) such other day as notified by the Central Government or the State Government.'.

4. In the Schedule to the principal rules, in the Note, paragraph 3 shall be omitted.

[F. No. Q-15022/01/2017-CPA]
ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No. S.O. 123 (E,) dated the 14th February, 2000 and were last amended vide S.O. 50 (E), dated the 11th January, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.11 13:21:16 +05'30'